



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092021-229449
CG-DL-E-06092021-229449

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943

No. 373]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 2021

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-20/टी(माइग्रेशन-एन).—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का मसौदा इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्वारा प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

- (1) इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2021 कहा जा सकता है।
- विनियम 4 के उप-विनियम (4) की सारणी 1 की क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित सामग्री जोड़ी जाएगी, अर्थात्,—

"8.	एंटीमनी	0.04
9.	थैलिक एसिड, बिस(2-एथिलहेक्सिल) एस्टर (डीईएचपी)	1.5"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./237/2021]

टिप्पणी: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 1-95/स्टैंडर्ड्स/पैकेजबंदी/एसपी(एलएंडसी/ए)/एफएसएसएआई-2017, दिनांक 24 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2021

F. No. Std/SP-20/T(Migration-N).—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or send on email regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2021.
- In regulation 4, in sub-regulation (4), in Table 1, after Sl. No. 7 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely—

"8.	Antimony	0.04
9.	Phthalic acid, bis (2-ethylhexyl) ester (DEHP)	1.5"

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer
[ADVT.—III/4/Exty./237/2021]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number File No. 1-95/Stds/Packaging/SP(L&C/A)/FSSAI-2017, dated the 24th December, 2018.